

21/1/24

पनावली पेशाद्वयी वकील ~~के~~ वादी अनुपरिष्ठात हैं। वादीगण
स्वयं भी अनुपरिष्ठात हैं। इनकी भाँर से कोई वकील भी
उपरिष्ठात नहीं हैं। बार-बार आवजिए लगेवाड़ी गई। परन्तु
न्यायालय शतमय तक कोई भी उपरिष्ठात नहीं है। अतः
शजस्व वादपत्र अरुम एजरी हादम पेंरी में खारिज
किया जाता है। पनावली कैमल शुमार थे। नम्बर से
कम घौंकर काखिल दफ्तर थे।

↓
S.D.O. BHANAR
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)